

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प. 10 (2) कृषि/ग्रुप-2/75

जयपुर, दिनांक: 13 अक्टूबर, 2006,

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 (अधिनियम सं. 38 सन् 1961) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम की सलग्न अनुसूची में निम्नांकित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिनियम की सलग्न अनुसूची में क्रम संख्या- 10 पर अंकित शीर्षक "विधि" के अन्तर्गत सम्मिलित जिनस, सूखा मेवा जिसे की इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-01-2006 के द्वारा जोड़ा गया था उसे तत्समय से ही विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


६०

(के.सी. वर्मा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज० जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव


राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्र. प 4(33) ग्रुप-2/विपणन/06/ 25715-39

दिनांक: 19/10/06

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 13/10/06 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- (1) सम्बन्धित क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया आप अपने क्षेत्र से अपने अधीनस्थ सचिव, कृषि उपज मण्डी समितियों को अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही हेतु निजसाधें।
- (2) सम्बन्धित विभागीय अधिकारी, कृषि विपणन निदेशालय, राज. जयपुर।
- (3) सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
- (4) डिस्ट्रिक्ट निजी सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राज. जयपुर।
- (5) निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राज. जयपुर।


18.10.06
निदेशक
कृषि विपणन